

# 2025 में आर्थिक सुधार भविष्य के लिए तैयार भारत का निर्माण

पत्र सूचना ब्यूरो दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 30 दिसम्बर, 2025

## मुख्य बिंदु

- 2025 के आर्थिक सुधारों का मुख्य लक्ष्य परिणामोन्मुखी शासन, शासन व्यवस्था का सरलीकरण, आर्थिक वृद्धि दर को गति प्रदान करना, समावेशी विकास और व्यवसाय करने को आसान बनाने पर केंद्रित थे।
- श्रम सुधारों ने 29 श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में एकीकृत किया, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा का विस्तार किया।
- नेक्स्ट-जन जीएसटी ने कराधान को सरल बनाया, करदाता आधार को 1.5 करोड़ तक विस्तारित किया।
- निर्यात प्रोत्साहन मिशन (₹25,060 करोड़) ने एमएसएमई और पहली बार निर्यातकों को वित्त, अनुपालन और बाजार पहुंच के साथ मजबूत किया।
- ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों में सुधार जिसमें 125 दिनों की भुगतान युक्त रोजगार की गारंटी।



वर्ष 2025 में भारत के आर्थिक दृष्टिकोण का मंच सजा

वर्ष 2025 में भारत में लाए आर्थिक सुधार भारत की शासन व्यवस्था की परिपक्वता को दर्शाते हैं, जिसमें शुरुआत में देश में नियमन ढांचों के विस्तार" पर ज्यादा जोर देने के बाद परिणामों की प्राप्ति की ओर ध्यान स्थानांतरित किया गया। इस दौरान सरकार का ध्यान प्रणालियों को सरल बनाने, अनुपालन बोझ को कम करने और नागरिकों तथा व्यवसायों के लिए लगाए जाने वाले अनुमानों को सुनिश्चित करने पर केंद्रित रहा। कराधान, जीएसटी, श्रम विनियमन और व्यापार अनुपालन के क्षेत्र में सुधारों को इस तरह डिजाइन किया गया जिससे रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियों को सुगम, तीव्र और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके और सार्वजनिक संस्थानों में लोगों के विश्वास और नीति निश्चितता को मजबूत किया जा सके ।

वर्ष 2025 में लाए प्रयासों ने देश की नियामक संरचनाओं को भारत की विकसित हो रही आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप ढालते हुए जीवन की आसानी, व्यापार करने की आसानी और समावेशी विकास पर जोर दिया। सरलीकृत कर व्यवस्थाओं और नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी से लेकर आधुनिक श्रम संहिताओं और विस्तारित एमएसएमई परिभाषाओं तक, इन सभी के जरिए सरकार ने सुनिश्चित किया कि सुधार न केवल रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियों में घर्षण को कम करें बल्कि युवाओं, महिलाओं, छोटे व्यवसायों और ग्रामीण समुदायों को सशक्त भी करे। सामूहिक रूप से, ये उपाय परिणाम-उन्मुख नीति निर्माण पर आधारित शासन दृष्टिकोण को चित्रित करते हैं, जो विश्वास, आकलन और दीर्घकालिक आर्थिक लचीलापन को बढ़ावा देते हैं।

## **विकास और अवसर को आकार देने वाले प्रमुख सुधार**

### **आयकर सुधार**

भारतीय परिवारों और व्यक्तिगत करदाताओं के लिए बड़ी राहत देते हुए, केंद्रीय बजट 2025-26 ने प्रत्यक्ष कराधान में पर्याप्त सुधार पेश किए। नई व्यवस्था के तहत वार्षिक आय ₹12 लाख तक आयकर से मुक्त हो गई। मानक कटौती के कारण वेतनभोगी करदाताओं के लिए प्रभावी छूट ₹12.75 लाख तक बढ़ गई। यह परिवर्तन सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट किया और मध्यम वर्ग के लाखों परिवारों को अधिक निपटान योग्य आय प्रदान की, जिससे उपभोग, बचत और निवेश सभी को बढ़ावा मिला।

जुलाई 2024 में, सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 का व्यापक पुनर्गठन किया, जो नए आय कर अधिनियम, 2025 की ओर ले गया । इसमें भाषा को सरल बनाने, अप्रचलित प्रावधानों को हटाने और प्रावधानों को एकीकृत एवं पुनर्गठित करने के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा गठित

आंतरिक विभागीय समिति ने मौजूदा अधिनियम की व्यापक समीक्षा के लिए तीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ सुधार किया:

- पठनीय और संरचनात्मक सरलीकरण, प्रगतिशीलता स्पष्टता और सुसंगतता।
- कोई प्रमुख कर नीति परिवर्तन नहीं, निरंतरता और निश्चितता सुनिश्चित करना।
- कर दरों में कोई संशोधन नहीं, करदाताओं के लिए अनुमानितता को संरक्षित रखना।

आयकर अधिनियम, 2025 भारत के प्रत्यक्ष कर ढांचे को आधुनिक बनाता है, कर विधान को सरल और सुव्यवस्थित करके इसे अधिक सुलभ, पारदर्शी और मुकदमेबाजी के प्रति कम संवेदनशील बनाता है। एक प्रमुख सुधार एकीकृत "कर वर्ष - 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के बारह मासिक अवधि" का परिचय है, जो पहले के मूल्यांकन वर्ष और पूर्व वर्ष की अवधारणाओं को प्रतिस्थापित करता है। यह न केवल स्पष्टता बढ़ाता है और करदाताओं के लिए उनकी आय और कर फाइलिंग के वित्तीय अवधि को समझना आसान बनाता है, बल्कि अनुपालन और अपनी व्याख्या में अस्पष्टता को भी कम करता है।

अधिनियम डिजिटल-प्रथम प्रवर्तन को मजबूत करता है, चेहरा रहित कर प्रशासन को बढ़ावा देता है, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) जैसे अनुपालन प्रावधानों को एक ही धारा के तहत एकीकृत करता है, सरकार को प्रौद्योगिकी-सक्षम योजनाएं पेश करने का अधिकार देता है, और विवाद-समाधान तंत्रों को उन्नत करता है।

## श्रम सुधार

एक ऐतिहासिक सुधार के जरिए भारत सरकार ने 29 मौजूदा श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में एकीकृत किया- मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य परिस्थिति संहिता, 2020।

श्रम कानूनों का नया ढांचा व्यापार करने की आसानी को बढ़ाता है जबकि मजदूरों के लिए मजदूरी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा का विस्तार करता है, जिसमें महिलाएं, प्रवासी, गिग और प्लेटफॉर्म मजदूर शामिल हैं।

- **मजदूरी:** यह नियोक्ताओं के लिए मजदूरी-संबंधी अनुपालन में सरलता और एकरूपता को बढ़ावा देते हुए मजदूरों के अधिकारों को मजबूत करने का लक्ष्य

रखता है। मजदूरी की एकरूप परिभाषा और सभी क्षेत्रों में वैधानिक न्यूनतम मजदूरी, आय सुरक्षा में सुधार और विवादों को कम करना।

- **औद्योगिक संबंध:** ट्रेड यूनियनों से संबंधित कानूनों का सरलीकरण, औद्योगिक प्रतिष्ठान या उद्यम में रोजगार की शर्तें, औद्योगिक विवादों की जांच और उसका निपटान।
- **सामाजिक सुरक्षा:** सभी मजदूरों- संगठित, असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म मजदूरों- को सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, जिसमें जीवन, स्वास्थ्य, मातृत्व और भविष्य निधि लाभ शामिल हैं, साथ ही अधिक दक्षता के लिए डिजिटल सिस्टम और सुगमकर्ता-आधारित अनुपालन की शुरुआत।
- **सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य:** मजदूर अधिकारों और सुरक्षित कार्यस्थितियों की रक्षा, तथा व्यापार-अनुकूल नियामक वातावरण का सृजन।



ये सुधार भारत के कार्यबल के लिए सुरक्षा जाल का विस्तार करते हैं, जिसमें लगभग 1 करोड़ गिग और प्लेटफॉर्म कार्यकर्ता वार्षिक सामाजिक सुरक्षा समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। महिला कार्यकर्ताओं को आश्वासनयुक्त अवकाश प्रावधानों, मातृत्व लाभ और उन्नत कार्यस्थल सुरक्षा का लाभ मिलता है। समग्र रूप से, ये श्रम संहिताएं नियम-प्रधान विनियमन से परिणाम-आधारित शासन की ओर निर्णायक बदलाव को चिह्नित करती हैं, जो सभी क्षेत्रों में 50 करोड़ से अधिक कार्यकर्ताओं के लिए एक एकीकृत ढांचा तैयार करती हैं। इसके अतिरिक्त, ये संहिताएं भविष्य के लिए तैयार कार्यबल और भारत की दीर्घकालिक विकास आकांक्षाओं के अनुरूप उद्योगों के लिए मजबूत आधार और लचीलापन रखती हैं।

## ग्रामीण रोजगार सुधार:

ग्रामीण रोजगार सुधार विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के अधिनियमन पर आधारित हैं, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को बदलता है, जो आजीविका सुरक्षा को बढ़ाता है और रोजगार को समुदाय विकास के साथ एकीकृत करने वाला आधुनिक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।

- **विस्तारित रोजगार गारंटी:** ग्रामीण परिवार को प्रति वित्त वर्ष में 125 दिनों का मजदूरी रोजगार।
- **कृषि और ग्रामीण रोजगार के लिए एकीकृत प्रावधान:** बुआई और फसल कटाई के चरम मौसमों के दौरान कृषि श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए, कृषि उत्पादकता और कार्यकर्ता सुरक्षा दोनों को समर्थन देने वाले संतुलित व्यवस्था को सुगम बनाना।
- **समयबद्ध मजदूरी भुगतान:** मजदूरी का साप्ताहिक आधार पर समयबद्ध भुगतान या किसी भी स्थिति में कार्य पूर्ण होने के पंद्रह दिनों के भीतर, मजदूरी सुरक्षा को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को विलंब से बचाना।
- **संपत्ति सृजन पर ध्यान:** चार प्राथमिकता वाले विषयगत क्षेत्रों में कार्य और टिकाऊ सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन में योगदान देने वाला यानी- जल सुरक्षा एवं संबंधित कार्य, ग्रामीण अवसंरचना, जलवायु-लचीली परियोजनाएं, और आजीविका उन्नयन।
- **विकेंद्रीकृत नियोजन:** सभी कार्य विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (वीजीपीपी) से प्रवाहित होते हैं, जो ग्राम पंचायत स्तर पर भागीदारीपूर्ण प्रक्रियाओं के माध्यम से तैयार की जाती हैं और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित होती हैं। ये योजनाएं पीएम गति शक्ति सहित राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों के साथ डिजिटल रूप से एकीकृत हैं, जो मंत्रालयों के अंतर्संबंध को सक्षम बनाती हैं और विकेंद्रीकृत निर्णय-प्रक्रिया को बनाए रखती हैं।
- **वित्तीय संरचना:** अधिनियम को केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाता है, जिसे राज्य सरकारें इसके प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित और कार्यान्वित करती हैं।
- **सुदृढ़ प्रशासनिक क्षमता:** प्रशासनिक व्यय की सीमा को 6% से बढ़ाकर 9% किया गया है, जो स्टाफिंग, प्रशिक्षण, तकनीकी क्षमता और क्षेत्रीय स्तर पर

समर्थन को मजबूत करता है ताकि संस्थागत वितरण और परिणामों में सुधार हो।

### व्यवसाय करने की आसानी को लेकर सुधार

घरेलू उत्पादन बाधित न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के माध्यम से चरणबद्ध और एमएसएमई-अनुकूल तरीके से लागू किया है।

**गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) –** प्रमुख छूट: सूक्ष्म (6 माह) और लघु (3 माह) उद्यमों को अतिरिक्त अनुपालन समय दिया गया, निर्यात-उन्मुख और आरएंडडी आयातों (200 इकाइयों तक) के लिए छूट प्रदान की गई, और पुराने स्टॉक को छह महीनों के भीतर क्लियर किया जा सकता है, जो व्यवसायों के लिए बदलाव को आसान बनाता है।

**एमएसएमई के लिए बीआईएस समर्थन** उपायों के तहत, उद्यमों को वार्षिक चिह्नन शुल्क पर छूट मिली, इन-हाउस प्रयोगशाला आवश्यकता को वैकल्पिक बनाया गया जिसमें मान्यता प्राप्त या साझा लैबों तक पहुंच उपलब्ध है, निरीक्षण और परीक्षण प्रक्रियाओं को अधिक लचीला बनाया गया, और उत्पाद प्रमाणीकरण दिशानिर्देशों को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाया गया ताकि अनुपालन सरल हो।



**एमएसएमई को ऋण प्रवाह सुधार** के तहत, ऋणों को बाहरी बेंचमार्कों से जोड़ा गया है जिसमें छोटी रीसेट अवधि (3 माह) हैं, एमएसएमई के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना (एमसीजीएस-एमएसएमई) अब उपकरण और मशीनरी के लिए ₹100 करोड़ तक कवर प्रदान करती है, प्राथमिकता क्षेत्र के उधार लक्ष्यों को लागू किया गया है,

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ₹10 लाख तक बिना गिरवी ऋण उपलब्ध हैं, और एमएसएम ई के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को ₹5 करोड़ तक के ऋण सीमाओं के लिए अनुमानित वार्षिक टर्नओवर का न्यूनतम 20% निर्धारित किया गया है।

### **अन्य एमएसएमई सुधार**

बजट 2025-26 ने एमएसएमई परिभाषा का विस्तार किया, निवेश और टर्नओवर सीमाओं को बढ़ाकर हमारे युवाओं के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने और रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा, जबकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कवर को ₹5 करोड़ से दोगुना ₹10 करोड़ कर दिया, जो विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए औपचारिक वित्त तक पहुंच सुधारता है। स्टार्टअप्स और निर्यातकों के लिए उच्च सीमाएं और दीर्घकालिक ऋण विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं।

**संशोधित सीमाएं :**

- **सूक्ष्म:** निवेश ₹2.5 करोड़ तक, टर्नओवर ₹10 करोड़ तक
- **लघु:** निवेश ₹25 करोड़ तक, टर्नओवर ₹100 करोड़ तक
- **मध्यम:** निवेश ₹125 करोड़ तक, टर्नओवर ₹500 करोड़ तक

### **जीएसटी 2.0 सुधार**

माल और सेवा कर (जीएसटी) सुधार भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को फिर से आकार देने में एक और ऐतिहासिक कदम का प्रतिनिधित्व करता है जो युवा, उद्यमी और उपभोग-प्रधान अर्थव्यवस्था की आकांक्षाओं के अनुरूप है।

नवीनतम नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी सुधार सरल कराधान, नागरिकों पर कम बोझ और व्यापार करने की आसानी में सुधार की ओर निर्णायक कदम हैं। यह जीएसटी को एक नागरिक-केंद्रित, व्यापार-अनुकूल और विकास-उन्मुख कर प्रणाली की भूमिका को काफी मजबूत करता है।

- **सरल कर संरचना:** दो-दरों वाली यह नई जीएसटी व्यवस्था (5% और 18%) में परिवर्तन जटिलता, वर्गीकरण विवाद और अनुपालन लागतों को लेकर काफी कमी आई है, व्यापार करने की आसानी बढ़ी है, विशेष रूप से एमएसएमई और छोटे व्यापारियों के लिए।
- **जीवनयापन लागत में कमी:** आवश्यक वस्तुओं, घरेलू सामग्रियों, स्वास्थ्य उत्पादों, शिक्षा सामग्री, आवास सामग्री और सेवाओं पर कर दर में व्यापक

कटौती जो सीधे मुद्रास्फीति दबाव को भी कम करती है और घरेलू उपभोग क्षमता बढ़ाती है।

- **एमएसएमई और स्टार्टअप सक्षमता:** तेज रिफंड, सरलीकृत पंजीकरण और रिटर्न, तथा कम इनपुट लागत से वर्तमान व्यवसायों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने तथा युवाओं को व्यवसाय शुरू करने और स्टार्टअप्स आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखती है।
- **व्यापक कर आधार और राजस्व स्थिरता:** सरल दरें और उन्नत अनुपालन ने जीएसटी करदाता आधार को 1.5 करोड़ से अधिक तक विस्तारित किया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल संग्रह ₹22.08 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो भारत की राजकोषीय स्थिरता को मजबूत करता है।

कुल मिलाकर नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी सुधार जीएसटी को सरल, निष्पक्ष और विकास-उन्मुख कर प्रणाली के रूप में मजबूत करते हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए जीवन की आसानी और उद्यमों के लिए व्यापार करने की आसानी प्रदान करते हैं, साथ ही उपभोग-प्रधान विकास और दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता का समर्थन करते हैं।

### निर्यात प्रोत्साहन मिशन

भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹25,060 करोड़ के व्यय प्रावधान के साथ वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक के लिए एक निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम) अनुमोदित किया है। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संरचनात्मक सुधार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ईपीएम, खंडित निर्यात समर्थन योजनाओं से एक एकल, परिणाम-आधारित और डिजिटल रूप से संचालित ढांचे ओर एक। ऐसे रणनीतिक बदलाव को चिह्नित करता है, जो एमएसएमई और पहली बार निर्यातकों और श्रम-गहन क्षेत्रों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है।

यह मिशन (निर्यात प्रोत्साहन) को वित्तीय समर्थन के साथ एकीकृत करता है जिसमें किफायती व्यापार वित्त और ऋण वृद्धि की उपलब्धता भी शामिल है। साथ ही इससे गैर-वित्तीय मामलों जैसे गुणवत्ता अनुपालन, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स और बाजार पहुंच पर भी काफी जोर दिया गया है।

### मिशन

- एमएसएमई के लिए किफायती व्यवसाय वित्त की पहुंच को सुगम बनाता है,
- अनुपालन और प्रमाणीकरण समर्थन के माध्यम से निर्यात तत्परता बढ़ाता है,



- भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पहुंच और दृश्यता में सुधार करता है,
- गैर-पारंपरिक जिलों और क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा देता है, और निर्माण, लॉजिस्टिक्स तथा संबद्ध सेवाओं में रोजगार सृजन करता है।

यह विकसित भारत @2047 के अनुरूप भारत के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायी, समावेशी और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी विकास के लिए स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।



### अन्य व्यापारिक सुधार

वर्ष के दौरान, व्यवसाय और व्यवसाय करने की आसानी, सुधार प्रक्रियाओं को सरल बनाने, इंटरफेस को डिजिटलाइज करने तथा लेन-देन लागतों को कम करने पर केंद्रित रहा, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए। प्रमुख उपायों में व्यापार प्रणालियों का डिजिटल एकीकरण (राष्ट्रीय एकल खिड़की, ट्रेड कनेक्ट, आईसीईगेट, ई-कॉमर्स निर्यात हब, जोखिम-आधारित रिफंड के साथ नेक्स्ट जेन जीएसटी 2.0, डीपीआईआईटी द्वारा लॉन्च जिला व्यापार सुधार कार्य योजना (डी-बीआरएपी 2025) जो ईओडीबी सुधारों के लिए अनुमोदनों और निरीक्षणों को विकेंद्रीकृत करती है, तथा 154 लक्षित सुधारों के माध्यम से एमएसएमई/स्टार्टअप को समर्थन प्रदान करना शामिल हैं।

जीईएम और एमएसएमई-संबंध के माध्यम से उन्नत बाजार पहुंच ने सरकारी खरीद में एमएसएमई की भागीदारी को मजबूत किया है। इसके अतिरिक्त, विदेश व्यापार

नीति के तहत निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात उत्पादों पर शुल्क तथा कर छूट योजना के तहत ₹58,000 करोड़ का वितरण (मार्च 2025 तक) ने इसे और बढ़ावा प्रदान किया है।

**परिणाम प्राप्त करना: भविष्य हेतु तैयार अर्थव्यवस्था की ओर गमन**

वर्ष 2025 के आर्थिक सुधार कुल मिलाकर परिणाम-आधारित शासन की ओर स्पष्ट बदलाव को दर्शाते हैं, जो नागरिकों और व्यवसायों के लिए घर्षण को कम करते हैं, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाते हैं, तथा स्थायी, समावेशी विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। कराधान को सरल बनाकर, श्रम कानूनों को आधुनिक बनाकर, एमएसएमई को मजबूत करके, ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देकर तथा डिजिटल भुगतानों को उन्नत करके, ये उपाय सामूहिक रूप से भारत की अर्थव्यवस्था में विश्वास, लचीलापन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देते हैं।

**संदर्भ**

**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय**

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2192463&reg=3&lang=2>

**पीआईबी मुख्यालय**

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2192524&reg=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=150302&reg=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2199733&reg=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2206194&reg=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?Noteld=155137&ModuleId=3&reg=3&lang=2>

[mygov.in](https://mygov.in)

<https://x.com/mygovindia/status/2004394737193963978>

**मंत्रिपरिषद्**

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2189381&reg=3&lang=2>

**उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय**

[https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2204665&lang=1&reg=1&utm\\_source](https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2204665&lang=1&reg=1&utm_source)

सुक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2205802&lang=1&reg=3>

[https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2203666&lang=1&reg=3&utm\\_source](https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2203666&lang=1&reg=3&utm_source)

वित्त मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleaselframePage.aspx?PRID=2098406&reg=3&lang=2>

[https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098389&utm\\_source&reg=3&lang=2](https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098389&utm_source&reg=3&lang=2)

पीके/केसी/एमएम

(Release ID: 2209734)